

**फर्द अहकाम**  
**रामरतन बनाम अर्जुन वगै0**  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)  
 केस संख्या .....20 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/2/22	<p>प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र श्री रामकिशोर यादव एडवोकेट ने पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक <u>11-3-22</u> को पेश हों</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	
9/3/22	<p>वकील जगदी 3071 अर्जागणनी अर्जी हाइडरूप से की जाकर पत्रावली दिनांक 11-3-22 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान</p>	
11/3/22	<p>उभय पक्षों परित्यक्त/अभिभाक्षक सच ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य <u>CHE</u> हैं। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. <u>21/4/22</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सीडर)</p>	
17/4/22	<p>पत्रावली काजपेरा उम्मी उमरगा में नकल पेश की गई । कारवाय मायाज लगाने पर एफडीसी हस्त तय केडी उपस्थित नहीं होते पर प्रस्ताव नकल मायाजी नकल केडी के 2 कारिज किया जा रहा है। पत्रावली नकल कुमाहारा को जिला अफसर को</p> <p style="text-align: right;">उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)</p>	